न्यायालय अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारीः— उम्मेदी लाल मीना आर.ए.एस.

अपील सं. 10/2020

गुरनाम सिंह पुत्र श्री भालसिंह जाति जटसिख निवासी ढाणी तारासिंह वाली, तह0 टिब्बी जिला हनुमानगढ़ (राज0)।

अपीलांट

बनाम

स्टेट जरिये तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी, तहसील व जिला हनुमानगढ़।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्ध आदेश बअदालत तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी दिनांक 02.06.2020 प्रकरण सं0 31/2020, बअनवान स्टेट बनाम गुरनाम सिंह, मन्सुख किये जाने आदेश एवं स्वीकार किये जाने अपील।

उपस्थितः— 1. श्री प्रदुमनसिंह परमार अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री शिवराज सिंह बराड़ राजकीय अभिभाषक।

अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़ (राज0)

—:निर्णयः—

दिनांकः—23.10.2024

अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि पटवारी हल्का टिब्बी द्वारा दिनांक 07.05.2020 को रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी कि चक नम्बर 6 एस. आर.डब्ल्यू. पटवार हल्का टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ के पत्थर नम्बर 199/272 मुरब्बा नम्बर 6 के किला नम्बर 11, 20 कुल 506 हैक्टेयर नहरी आराजीराज दर्ज है जिस पर गंदम फसल द्वारा अतिक्रमी गुरनाम सिंह/अपीलार्थी ने अतिक्रमण कर रखा है। मौका पर कब्जा कर रखा है, कुल 506 हैक्टेयर भूमि आराजीराज पर अतिक्रमण कर रखा है। प्रकरण उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के तहत दर्ज कर अप्रार्थी/अपीलार्थी को उपधारा 3 के तहत नोटिस जारी कर रकबे के सम्ब्रन्ध में सबुत प्रस्तुत करने हेतु तलब किया गया। अप्रार्थी, अपीलार्थी अनुपस्थित रहा। इस कारण अप्रार्थी/अपीलार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई, जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 खण्ड 1 के तहत अप्रार्थी/अपीलार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाकर उक्त रकबे पर से बेदखल किये जाने के आदेश पारित किये गये तथा उक्त रकबे पर माल गुजारी का 50 गुणा तावान रूपये 304/—रूपये कायम किये गये। पटवारी हल्का को राशि फराल करने हेतु लिखा जावे। उक्त रकबे की खड़ी फसल की निलामी कर फसल बहक सरकार कुर्क किये जाने के आदेश कर निलामी की गई और सर्वाधिक निलामी 2050/— रूपये गुरविन्द्र सिंह पुत्र गुरदीप सिंह निवासी ढाणी तारा सिंह वाली की रही। इससे अधिक बोली उचित प्रतीत नहीं दी गई और बोली उचित होने पर स्वीकृत की गई और समस्त राशि जरिये चालान जमा करवाये जाने [illegible] पारित किये थे। तहसीलदार राजस्व लेखाकार को "घ" रजिस्टर में दर्ज [illegible] किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय गलत एवं विधि विरुद्ध होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है और इसी कारण अपीलार्थी, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को आधारो पर निरस्त करवाने का अधिकारी हैः—

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 02.06.2020 को पारित निर्णय बिना पत्रावली का अवलोकन किये एंव बिना अपीलार्थी को विधिवत नोटिस तामिल करवाए पारित किया है, इस कारण खारिज किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Umedi Lal Meena
Date: 2024.11.12 11:13:12 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ

विधि विरूद्ध तरीके से पारित किया गया है क्योकि माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा विश्वभर में फैली कोविड 19 महामारी के मध्यनजर राजस्व प्रकरणो के निस्तारण पर रोक लगाई हुई थी। उसके बावजूद भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय अपीलार्थी को नोटिस प्राप्त होने के पश्चात अपीलार्थी द्वारा अधिनस्थ न्यायालय मे सम्पर्क करने पर यह जानकार दी गई कि अभी कोरोना महामारी के कारण सुनवाई नही हो रही है, जब सुनवाई होगी, तब उसे नोटिस देकर सूचना दे दी जावेगी, जिस पर अपीलार्थी आश्वस्त हो गया और अपने निजी स्वार्थो के वशीभूत होकर अपने पद का दुरूपयोग करते हुए अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो गलत व विधिविरूद्व पारित किया गया है। प्रश्नगत कृषि भूमि अर्सा पूर्व से अपीलार्थी के कब्जा काश्त में है और इसी कृषि भूमि के चिपते अपीलार्थी को खातेदारी कृषि भूमि भी है। इसी कारण अपीलार्थी प्रश्नगत कृषि भूमि की खातेदारी प्राप्त करने हेतु विधिक प्रक्रिया अपनाई हुई है, जिसका निस्तारण अभी नही हुआ है, ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश कतई गलत व विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नही किया गया, इस कारण विधि द्वारा प्रतिपादित नैसर्गिक न्याय के मूलभूत सिद्धान्तो की पालना नही होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय काबिल निरस्ती है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपील दिनांक 02.06.2020 को अपास्त किये जाने के आदेश फरमावे व पत्रावली पुनः अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्णय के साथ भेजी जावे कि अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट की तलबी की गयी। रेस्पोडेन्ट सं0 01 की ओर से राजकीय अभिभाषक ने उपस्थिति दी।

बहस सुनी गयी। अपीलार्थी के अभिभाषक ने अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नही किया गया, इस कारण विधि द्वारा प्रतिपादित नैसर्गिक न्याय के मूलभूत सिद्धान्तो की पालना नही होने के कारण अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय काबिल निरस्ती है । अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपील दिनांक 02.06.2020 को अपास्त किये जाने के आदेश फरमावे व पत्रावली पुनः अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्णय के साथ भेजी जावे कि अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया जावे।

राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किये कि तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी द्वारा प्रकरण सं0 31/2020 अनवानी स्टेट बनाम गुरनाम सिंह में उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के तहत जारी आदेश 02.06.2020 विधि अनुसार है इसलिए अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलांट ने अपील प्रस्तुत कर धारा 05 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें चुनौतीधीन निर्णय व आदेश की जानकारी 23.08.2020 तहसील कार्यालय में जाने से जानकारी हुई। अपीलांट ने उसके पश्चात अपीलाधीन ईन्तकाल की प्रमाणित प्रतिलिपि हासिल कर बिना देरी के अपील प्रस्तुत कर दी। अपीलांट ने विलंब का कारण तथा इसके सबंध में शपथ पत्र भी पेश किया है। न्यायहित में अपीलांट का दफा 05 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अन्दर मियाद ग्रहण की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Umedi Lal Meena
Date: 2024.11.12 11:13:12 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली अवलोकन करने व उभय पक्षकारान की बहस पर मनन करने के पश्चात पाया कि:-

अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

1. तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी द्वारा उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के तहत अप्रार्थी गुरनामसिंह पुत्र भालसिंह को आगामी तारीख पेशी दिनांक 12.03.2020 के लिए दिनांक 08.02.2020 को नोटिस जारी किया गया। नोटिस अप्रार्थी गुरनामसिंह के तथाकथित भतीजा गुरविन्द्र सिंह पुत्र गुरदीपसिंह पर तामील होकर प्राप्त होने पर अप्रार्थी गुरनामसिंह पुत्र भालसिंह के विरूद्ध दिनांक 02.06.2020 को अनुपस्थिति दर्ज कर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी, जो विधिवत नहीं है। बिना अपीलार्थी को विधिवत नोटिस तामिल करवाए आदेश 02.06.2020 पारित किया है।
2. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नही किया गया, इस कारण विधि द्वारा प्रतिपादित नैसर्गिक न्याय के मूलभूत सिद्धान्तो की पालना नही होने के कारण अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत नहीं है।

अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जाकर तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी द्वारा प्रकरण सं0 31/2020 अनवानी स्टेट बनाम गुरनाम सिंह में उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के तहत जारी आदेश 02.06.2020 अपास्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी, जिला हनुमानगढ को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलार्थी की विधिवत तामील करवाकर तथा पक्षकार को सुनकर राजस्व रिकार्ड के अनुसार विधि सम्मत निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जाये। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 23.10.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेदी लाल मीना)
अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ

अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ (राज0)

Signature Not Verified

Digitally signed by Umedi Lal Meena
Date: 2024.11.12 11:13:12 IST
Reason: SelfAttested